

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 29/07/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 29/07/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री नवीन कर्णवाल, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्री जगदीश चंद्र, सहायक डीजीएफटी, अतिरिक्त डीजीएफटी, सीएलए का कार्यालय, नई दिल्ली।
4. श्री दुर्गेश, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
5. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि। श्री फणी किरण, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), सीएलए, नई दिल्ली।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) अमित कुमार गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नौएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 16/07/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।
दिनांक 16/07/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 16/07/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) ग्लोबल डेंट एंड्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

सुरेन्द्र मलिक

2.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स ग्लोबल डेंट एंड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जैसे कि "(i) ओरल केयर किट (प्लास्टिक हैंडल का सेट, एप्लीकेटर स्टिक, शीशियों में ओरल पेन सॉल्यूशन) (90183990); (ii) ओरल केयर किट (शीशियों में डेंटल सीमेंट का सेट, शीशियों में यूजेनॉल पेन रिलीफ सॉल्यूशन, एप्लीकेटर स्टिक) (90183990); (iii) एप्लीकेटर ब्रश/ब्रश के साथ प्लास्टिक हैंडल (90184900/96032100); (iv) डेंटल फ्लॉस/फ्लॉसर/पिक एंड फ्लॉसर (33062000); (v) डेन्चर रिलाइनर (33061090)" का निर्माण।

2.2 श्री प्रदीप देबनाथ, अधिकृत प्रतिनिधि, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि ओरल केयर किट केवल विशिष्ट ग्राहकों को निर्यात के लिए थे। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने आईटीसी (एचएस) कोड 90183990 के तहत 'ओरल केयर किट' का उल्लेख किया था, जबकि इसमें दर्द निवारण के लिए दवाइयाँ भी थीं।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अतिरिक्त विनिर्माण वस्तुओं को शामिल करने के लिए मेसर्स ग्लोबल डेंट एंड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:

- (i) ओरल केयर किट के आईटीसी (एचएस) कोड पर औचित्य।
- (ii) प्रत्येक प्रस्तावित अतिरिक्त उत्पाद की वार्षिक उत्पादन क्षमता।
- (iii) इस आशय का वचन कि ये उत्पाद केवल निर्यात के लिए हैं और कोई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री नहीं की जाएगी।

अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को इकाई के उत्तर की जांच के बाद फाइल पर अंतिम अनुमोदन देने के लिए सशक्त बनाया।

(3) फर्स्टआइडिया - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, अधिकृत परिचालन में संशोधन, साझेदारों/लाभ/हानि शेयर अनुपात में परिवर्तन और निष्पादन की निगरानी।

3.1 यह बताया गया कि मेसर्स फर्स्टआइडिया ने दूसरे ब्लॉक वर्ष की शेष अवधि यानी 15/01/2029 तक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। उन्होंने निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधिकृत संचालन में संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा:

मौजूदा अधिकृत संचालन	: प्रस्तावित
आईटी/आईटीईएस सेवा गतिविधियाँ जैसे (i) विज्ञापन माध्यम सेवाएँ, (ii) बाजार अनुसंधान माध्यम सेवाएँ,, (iii) व्यवसाय सहायता सेवाएँ,	(i) अन्य तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएँ। (CPC 86769) (ii) अन्य विज्ञापन सेवाएँ (CPC 87190)। (iii) अन्य व्यावसायिक सेवाएँ (CPC 87909)। (iv) अन्य प्रबंधन परामर्श सेवाएँ (CPC 86509)।

सुरेंद्र मलिक

मौजूदा अधिकृत संचालन	: प्रस्तावित
(iv) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाएँ, (v) वस्तुओं/सेवाओं/कार्यक्रमों के ब्रांड के प्रचार या विपणन की सेवा और (vi) प्रबंधन या व्यवसाय सलाहकार सेवाएँ।	(v) बाज़ार अनुसंधान सेवाएँ (CPC 86401)। (vi) विपणन प्रबंधन परामर्श सेवाएँ (CPC 86503)।

3.2 आगे यह भी बताया गया कि 31/07/2021 से भागीदारों और उनकी शेयरधारिता (लाभ/हानि अनुपात) स्वरूप में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन हुआ है:

इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले साझेदार और लाभ/हानि साझाकरण अनुपात	वर्तमान साझेदार एवं लाभ/हानि साझाकरण अनुपात 31/07/2021 से प्रभावी
(i) श्री अर्जुन प्रकाश - 99%	(i) श्री निशांत वालिया - 1%
(ii) (ii) श्री निशांत वालिया - 1%	(ii) (ii) श्री चंद्र मणि - 99%
लाभ/हानि शेयर अनुपात में परिवर्तन - 99%	

3.3 यह भी बताया गया कि भागीदारों में परिवर्तन की जानकारी इस कार्यालय के दिनांक 24/01/2024 के पत्र के पश्चात 2024 में ही दी गई। यह BLUT की शर्त संख्या 14 का उल्लंघन था।

3.4 अनुमोदन समिति ने SEZ नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पाँच वर्षों के प्रथम ब्लॉक अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक NFE आय की उपलब्धि को नोट किया। हालाँकि अनुमोदन समिति ने पाया कि SEZonline प्रणाली पर कोई सॉफ्टवेक्स/SERF दाखिल नहीं किया गया था।

3.5 इकाई के प्रतिनिधि श्री विष्णु कुमार अग्रवाल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि अब उन्होंने SEZonline पर सॉफ्टवेक्स/एसईआरएफ (SOFTEX/SERF) दाखिल कर दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनकी लेखा टीम की चूक थी। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में वे नियमित रूप से और निर्धारित समयसीमा के भीतर सॉफ्टवेक्स/एसईआरएफ (SOFTEX/SERF) दाखिल करेंगे। उन्होंने भागीदारों और लाभ/हानि शेयर अनुपात में परिवर्तन की सूचना न देने के लिए भी माफ़ी मांगी और संकेत दिया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा।

3.6 अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि इकाई के वर्तमान मुख्यालय के बारे में स्पष्टता का अभाव था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इकाई ने अपने पंजीकरण दस्तावेजों में अपने निवर्तमान भागीदार के निवास को मुख्यालय के रूप में दर्शाया था, जबकि संशोधित भागीदारी दस्तावेजों में नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के पते को मुख्यालय के रूप में दर्शाया था।

3.7 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

सुरेंद्र मलिक

(i) अनुमोदन समिति ने प्रस्तावित अधिकृत परिचालनों के लिए पांच साल के दूसरे ब्लॉक की शेष अवधि यानी 15/01/2029 तक स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया।

(ii) अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार भागीदारों और शेयरधारिता स्वरूप (लाभ/हानि शेयर अनुपात) में परिवर्तन पर भी ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्राधिकरण के निर्णय के अनुरूप शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में हस्तांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने के लिए राज्य प्रबंधन (ईएम) प्रभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को निर्देश दिया।

(iii) अनुमोदन समिति ने इकाई को दस्तावेजी प्रमाण के साथ विधिवत समर्थित मुख्यालय का पता बताने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इकाई को संशोधित भागीदारी विलेख के खंड 6 के संबंध में अन्य टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

3.8 अनुमोदन समिति ने भागीदारों/लाभ और शेयरधारिता स्वरूप (हानि साझाकरण अनुपात) में परिवर्तन के बारे में इकाई द्वारा देरी से सूचना देने को भी गंभीरता से लिया। समिति ने इकाई को भविष्य में सावधान रहने और ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम/नियमों के तहत समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी।

(4) जे एंड एस एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स जे एंड एस एक्सपोर्ट्स ने 30/06/2023 से परे स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। इकाई ने अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करने के लिए भी आवेदन किया था, जैसे "(i) महिला कुर्ती टॉप (61069090)(30000 टुकड़े/वर्ष); (ii) महिला बुना शर्ट (62069000)(10000 टुकड़े/वर्ष); (iii) महिला स्कर्ट (62045220) 30000 टुकड़े/वर्ष; (iv) महिला ड्रेस (62041990)(20000 टुकड़े/वर्ष); (v) लेडीज स्कार्फ (42022910) (20000 टुकड़े/वर्ष); (vi) महिला बैग/पाउच (42022910) (20000 टुकड़े/वर्ष); (vii) महिला ट्यूनिक्स (62063030) (30000 टुकड़े/वर्ष)"।

4.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 2017-18 से कोई निर्यात नहीं किया है। इसके अलावा, इकाई ने प्रस्तावित अवधि के लिए कोई व्यवसाय योजना भी प्रस्तुत नहीं की है।

4.3 इकाई में भागीदार श्री ध्रुव जालान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री जालान ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से वे अपने व्यवसाय में बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे और अब उन्होंने व्यवसाय को भुनाने के लिए वित्तीय पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अब उनके पास निर्यात आदेश हैं और वे उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हैं।

सुरेंद्र मलिक

4.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और एक ठोस व्यवसाय योजना की अनुपस्थिति और 2022-23 में विस्तार दिए जाने के बावजूद इकाई को फिर से शुरू करने में असमर्थता पर ध्यान दिया। इसने इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया:

(i) ठोस व्यवसाय योजना जिसमें 8 अंकों का आईटीसी (एचएस) कोड और निर्मित तथा निर्यात किए जाने वाले माल का विवरण, आईटीसी (एचएस) कोड के साथ पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल की सूची दी गई हो

(ii) विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट (प्रारूप के अनुसार) जिसमें इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं और तैयार उत्पादों के एचएस कोड के साथ-साथ प्रत्येक चरण में शामिल प्रक्रियाओं का स्पष्ट संकेत हो (प्रारूप के अनुसार)

(iii) विवरण प्रदान करने सहित निधि प्रवाह विवरण (प्रारूप के अनुसार)

(ii) निर्यात आदेशों की प्रति जिसमें खरीदारों का विवरण जैसे नाम, पता और संपर्क विवरण शामिल हो।

(iii) संशोधित फॉर्म-एफ1 (विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ऑनलाइन प्रणाली पर प्रस्तुत) इकाई के अधिकृत भागीदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित।

(iv) एनएसडीएल आंकड़े के साथ वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) आंकड़े के बेमेल होने के संबंध में स्पष्टीकरण।

(v) 2022-23 की अवधि के लिए विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR)।

(vi) विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में अगले पांच वर्षों के लिए निर्यात, आयात, निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय और स्वदेशी आवश्यकता के अनुमान।

(5) रिट्ज़ी हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता में विस्तार।

5.1 बैठक के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, यहाँ तक कि वर्चुअल मोड के माध्यम से भी नहीं। अनुमोदन समिति ने अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया और प्रस्ताव को स्थगित कर दिया तथा इकाई के संस्थापक के साथ-साथ मेसर्स एच एंड एस इंडस्ट्रीज के संस्थापकों को अगली बैठक में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी को इकाई का भौतिक निरीक्षण करने और अनुमोदन समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(6) एफ फेररी सिक्नोर लॉजिटेक प्राइवेट लिमिटेड - कीमती धातुओं से युक्त माल के भंडारण पर पुनर्विचार के लिए अभ्यावेदन और तदनुसार स्वीकृति पत्र (LOA) के सक्रियण और विस्तार के लिए अनुरोध।

सुरेंद्र मलिक

6.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स एएफ फेरारी सिक्योर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए समय-समय पर संशोधित दिनांक 06/05/2021 को स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया गया था:

"(1) अन्य यात्रा माल का भंडारण (42021250);

(2) आभूषण बक्सों का भंडारण (42023110, 42023990);

(3) चमड़े के सामान का भंडारण (42021190, 42021290, 42022190, 42022210, 42022290, 42022990, 42023290, 42029100, 42029200, 42029900, 42050090, 42050090, 42023120, 42021110, 42021120, 42021140, 42021250, 42022110, 42023110, 42023190);

(4) स्मार्ट घड़ियों का भंडारण (85176290);

(5) कीमती धातुओं से बनी या उनसे बनी घड़ियों को छोड़कर घड़ियों का भंडारण (91011100, 91011900, 91012100, 91012900, 91021900, 91022100);

(6) कीमती धातुओं से बने लेखन उपकरणों को छोड़कर लेखन उपकरणों (बॉल पेन, फाउंटेन पेन, रिफिल आदि) का भंडारण (96081019, 96081091, 96081099, 96082000, 96083019, 96083099, 96084000, 96086090)

(7) निम्नलिखित का भंडारण (i) चमड़े की बेल्ट (42033000), (ii) धूप के चश्मे, सिवाय उनके जिनके हिस्से कीमती/अर्ध-कीमती धातुओं से बने हैं (90041000); (iii) घड़ियाँ, सिवाय उनके जिनके हिस्से कीमती/अर्ध-कीमती धातुओं से बने हैं (एचएस 91011100, 91011900, 91012100, 91012900, 91021100, 91021900, 91022100, 91022900 के अंतर्गत); (iv) घड़ियाँ, सिवाय उनके जिनके हिस्से कीमती/अर्ध-कीमती धातुओं से बने हैं (91052900); (v) पेन का सेट, सिवाय उनके पेन, जिनके हिस्से कीमती/अर्ध-कीमती धातुओं से बने हैं (96085000).".

6.2 यह भी बताया गया कि इकाई ने उक्त स्वीकृति पत्र (LOA) की शर्तों और नियमों की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की थी, जिसे स्वीकृति पत्र (LOA) जारी होने के 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा, इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) केवल 05/05/2022 तक वैध था, बशर्ते कि स्वीकृति पत्र (LOA) की शर्तों और नियमों की स्वीकृति प्रस्तुत की जाए।

6.3 श्री रोहित कराडकर, निदेशक और श्री आशीष कुमार वर्मा, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री कराडकर ने बताया कि शुरू में उन्होंने कीमती धातुओं से मढ़े गए प्रीमियम घड़ियों और लेखन उपकरणों के भंडारण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे अनुमोदन समिति ने अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने आगे कहा कि वे सीधे विदेशी लक्जरी ब्रांडों के साथ काम करते हैं और वे मुख्य प्रेषक हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित गोदाम में माल की सुरक्षा, प्रामाणिकता और सुरक्षा के मुद्दों को सुनिश्चित किया जाएगा।

सुरेंद्र मलिक

6.4 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) 05/05/2022 में समाप्त हो गया था। इसके अलावा, इकाई ने न तो 06/05/2021 को उक्त स्वीकृति पत्र (LOA) की स्वीकृति प्रस्तुत की थी और न ही नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में किसी स्थान के लिए आवेदन किया था। अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार, इकाई के पास अनुमोदन समिति के निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने का अवसर था। हालांकि, इकाई ने कभी भी किसी भी निर्णय के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की थी।

6.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, यह ध्यान में रखते हुए कि कोई स्थान आवंटित नहीं किया गया था, नियम 19(5) के प्रावधान के अनुसार इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) को 'व्यपगत माना गया' माना जाता है।

(7) टॉरस एन्ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड - आयात और व्यापार के लिए दी गई एक बार की अनुमति का अनुसमर्थन।

7.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स टॉरस एन्ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 23/07/2024 के माध्यम से कहा था कि एचएसएन कोड 920790/920710 के तहत संगीत वाद्ययंत्र और नियंत्रकों के 313 कार्टन युक्त आयात की खेप, जिसकी कीमत \$60,036.00 है, दादरी बंदरगाह पर पहुंची थी। उन्होंने उक्त माल के आयात और व्यापार के लिए एक बार की अनुमति का अनुरोध किया था। व्यापार योजना और इकाई द्वारा दिखाई गई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, इकाई को दिनांक 24/07/2024 की एक बार की अनुमति प्रदान की गई थी। यह अनुमोदन समिति द्वारा बाद में अनुसमर्थन के अधीन उक्त माल के आयात और व्यापार के लिए था।

7.2 यह भी बताया गया कि इकाई ने अपने अन्य पत्र दिनांक 25/07/2024 के माध्यम से सूचित किया था कि वे गलती से कुछ एचएस कोड जैसे 92060000, 85437029, 85184000 का उल्लेख करना भूल गए थे और इन वस्तुओं को भी पहले दी गई एकमुश्त अनुमति में शामिल करने का अनुरोध किया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये सामान संगीत वाद्ययंत्रों से संबंधित थे, अनुमोदन समिति द्वारा अनुसमर्थन के अधीन इन वस्तुओं के आयात और व्यापार के लिए दिनांक 24/07/2024 को दी गई पूर्व अनुमति के क्रम में, दिनांक 26/07/2024 को इकाई को एकमुश्त अनुमति प्रदान की गई थी।

7.3 श्री विलास गुसा, निदेशक, ऑनलाइन मोड के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री गुसा ने बताया कि आयातित सामान अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और नमूनाकरण उद्देश्यों के लिए थे। उनका उद्देश्य इन उत्पादों का मूल्यांकन और विकास करना था, जिसका अंतिम लक्ष्य भारत में उनका निर्माण करना था।

7.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एचएस कोड 920790/920710, 92060000, 85437029, 85184000 के तहत संगीत वाद्ययंत्रों और नियंत्रकों के आयात और व्यापार के लिए दी गई एकमुश्त अनुमति दिनांक 24/07/2024 और 26/07/2024 को अनुमोदित की।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

सुरेंद्र मलिक

(सुरेन्द्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अरविपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त